संख्या- 5 / 2017 / बी-1-425 / दस-2017-146 / 2004

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, उत्तर प्रदेश,
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-2018 में माह मार्च, 2017 के वेतन का भुगतान ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के प्रथम पाँच माहों (माह अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिये लेखानुदान की माँगें विधान मण्डल द्वारा पारित हो चुकी है तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1 / 2017 / बी-1-02 / दस-2017-231 / 2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा शासनादेश संख्या-3 / 2017 / बी-1-348 / दस-2017-231 / 2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 द्वारा समस्त प्रमुख सचिव / सचिवों एवं सचिवालय के समस्त अनुभागों को लेखानुदान अवधि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने हेतु दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं, परन्तु यह सम्भव है कि कतिपय विभागाध्यक्षों / नियंत्रक अधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषागारों को माह अप्रैल, 2017 के प्रथम / द्वितीय सप्ताह तक वेतनादि की धनराशि आवंटित न की जा सके।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश के समस्त कोषागारों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे बजट आवंटन की प्रत्याशा में केवल माह मार्च, 2017 के वेतन का भुगतान राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों / सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं / विश्वविद्यालयों / चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को माह अप्रैल, 2017 में सुनिश्चित करें।

भवदीय

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in